

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD.**

No. F(E)III/2001/PF1/1

NEW DELHI

Dt. 5.06.2003.

1. All G.Ms. & FA&CAOs etc. (As per Standard List 'I')
2. All attached offices- Subordinate offices, RRBs, Trg. Instts., RRT & Others (As per Standard List 'II')
3. All Railway PSUs/Corporation (As per Standard List 'VI')

*****]

Hindi version of Board's letters No. F(E)III/2000/PF1/2 dt. 26.7.2000 and No. F(E)III/2001/PF1/1 dt. 26.2.2001 are circulated for information and guidance.

बोर्ड के दिनांक 26.7.2000 का पत्र सं. एफईई 3/2000/पी. एफ. 1/2 और दिनांक 26.2.2001 का पत्र सं. एफईई 3/2001/पी. एफ. 1/1 की हिन्दी प्रतियाँ सूचना स्वम् मार्गदर्शन के लिए जारी की जाती हैं।

एस. श्रीराम

(S.SREERAM)

**Deputy Director Finance (Estt.) III,
Railway Board.**

DA: As above.

:2:

No. F(E)III/2001/PF1/1

NEW DELHI

Dt. 5.06.2003

Copy to DAI (Rlys), New Delhi (40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

(S.SREERAM)

NEW DELHI

Dt. 5.06.2003

No. F(E)III/2001/PF1/1

Copy forwarded to:

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-c, Feroze Shah Road, New Delhi (with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA (with 5 spares).
5. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association (with 5 spares)
6. The Secretary, Railway Board Class II Officers' Association (with 5 spares)
7. The Secretary General, IRPOF (with 5 spares)
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association (with 5 spares)
9. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association (with 5 spares)
10. The President, Indian Railway Class II officers' Association (with 5 spares)
11. The Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110 001.

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

1. Shri V.K. Sthanunathan, National President, National Federation of Railway Pensioners, 36, Venkatanarayana Road, T. Nagar, Chennai-600 017.
2. Shri K. Gopinath Menon, The Secretary General, National Federation of Railway Pensioners, Kunnathurmedu, Palghat- 678 013.
3. Shri R.B. Kulkarni, President, AIRRF, 13/9, Vivekanand Housing Society, Gurumandir Road, Dombivli (East), Maharashtra-421 201.
4. B. Jayajaya Rao, President, All India Railway Officer's Association, 12-13-268 (505) New Street-2, Lane 9, Tarnaka, Secunderabad-500 017.
5. The General Secretary, Railway Pensioners' Council Kiran Kutir, Larkania Tola, Katihar.
6. The General Secretary, All India Federation of Pensioners Association, T.P.M Hall, 22, Kavirai Street, Saidapet West, Chennai-600 015.

7. Shri S.S.Ramachandra, Secretary General , All India Central Committee of Pensioners Association. Flat No.144, New Suryakiran Apartments, Plot No. 65,Patparganj, New Delhi-110 092.
8. Shri M.S.Solanki, General Secretary, Central and AIS Pensioners Association, E-i/164, Arena Colony, Bhopal(M.P) 462 016
9. Shri Nirmal Dass Gupta, Vice President, Federation of Central Government Pensioners' Organisation, P-24C, Sagar Manna Road, Kolkata. 700 060
10. Shri B.S Dard, Secretary General, Central Government Pensioners' Association, 1874/2, Sector-64, S.A.S Nagar, Chandigarh 160 061.
11. Shri C.R. Chatwani, Central Government Pensioners' Association, "SHIVANAND", 11/13, Krishna Kunj Society, Chhotunagar-7, Raiya Road, Rajkot 360 001.
12. Secretary General, Bharat Pensioners' Samaj, Post Box 3303, Jangpura Extension, New Delhi-110 014.

Copy to:-

PPSs/PSs/PAs to: CRB,FC,MT,ME,MS,MM,DG(RHS),DG(RPF),All Additional Members, Secretary, All Executive Directors, JS, JS(G), DS(D), JS(E), DS(G),EDE(N), JD(MPP), DE(G), DPC,JDE(N), JDE(P&A), JDEGC), JDE(Rep),JDE (Rep)III, JDE(G),JDE(D&A),DPC-I,II, JDE(Gaz),JDE(W), JDE(GP), JDE(Res), DDPC-III,IV, V, DDV(A&P), DDF(E)-I,II, III,JDE(L), DDE(LR)I,II,III, DDE(R)II,US(A), US(D),US(E),PAO, W.O./Railway Board. Cash-I,II,III,IV, E(P&A)I/II, E(G), E(NG)I&II, PC-V,IV,III, E(Trg),E(MPP), E(LR)I&II, F(E)-II, F(E)Spl, Security(E), Security(ABE), Accounts-III(with 10 spares) ERB-I,II,III,IV, V&D, G(Pass),G(Acc), E(Welfare), E(SCT) I & II, E(O)I,II,III&III(CC), E(GR)I,II, E(GP),E(GC), PR, E(D&A), Budget, O&M, Code Revision Cell(with 2 spares), Acs-II, PG, E(Rep)-I,II,III Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

आर बी ई सं. 41/2001

सं. एफ (ई) III/2001/पी एफ 1/1

नई दिल्ली, दि 26-2-2001.

1. सभी महाप्रबंधक, विसमुलेधि एवं विकाधि (मानक सूची 'I' के अनुसार)
 2. सभी संबद्ध कार्यालय - अधीनस्थ कार्यालय, रेल भर्ती बोर्ड, प्रशिक्षण संस्थान, रेल दर अधिकरण एवं अन्य (मानक सूची 'II' के अनुसार)
 3. सभी रेलें/उत्पादन इकाइयां/निगम (मानक सूची 'VI' के अनुसार)
- *****

विषय: भारतीय रेल स्थापना संहिता/जिल्द I (1985 संस्करण) नियम 923 एवं 925 - सगाई समारोह एवं विवाह समारोह के लिए अलग-अलग अगिम/अंतिम निकासी की अनुमति देना.

.....

बोर्ड के दि. 24.2.68 के पत्र सं. एफ (ई) III/67/पी एफ 1/18 के अनुसार, सगाई और विवाह दोनों के लिए अलग-अलग अगिम/अंतिम निकासी की अनुमति दी गई है परंतु इस प्रकार के अगिम/अंतिम निकासी की कुल रकम राजकीय रेल भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत विवाह के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक न हो. अब यह विनिश्चय किया गया है कि सगाई समारोह और विवाह समारोह दोनों को अलग-अलग प्रयोजन मानते हुए अगिम/अंतिम निकासी की अनुमति दी जाए.

उपर्युक्त को देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रित संस्करण 1995) के नियम 923 एवं 925 को अनुबंध I एवं II के रूप में संलग्न अगिम शुद्धि पर्ची सं. 80 एवं 81 के अनुसार संशोधित करने का निदेश देते हैं.

कृपया पावती दें.

एस. श्रीराम
(एस. श्री राम)

उप निदेशक वित्त (स्था.) III,
रेलवे बोर्ड.

संलग्न: यथोक्त

अनुबंध I

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द I (पुनर्मुद्रण संस्करण 1995)

नियम 923/आर-I

अगिम शुद्धि पर्ची सं. 80

नियम 923 के अंतर्गत टिप्पणी (3) के नीचे निम्नलिखित को टिप्पण (4) के रूप में अंतर्विष्ट किया जाए-

"टिप्पण (4) इस नियम के प्रयोजन के लिए सगाई समारोह और विवाह समारोह दोनों के लिए अगिम दिया जाएगा और दोनों समारोहों को अलग-अलग माना जाएगा."

(रेल मंत्रालय का दि. 26.02.2001 का पत्र सं. एफ (ई) III/2001/पी एफ I/1)

अनुबंध II

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द I (पुनर्मुद्रण संस्करण 1995)

नियम 925/आर-I

अगिम शुद्धि पर्ची सं. 81

उप नियम 925 (3) च नीचे नियम 925 (3) (छ) को नए उप नियम के रूप में निम्नानुसार अंतर्विष्ट किया जाए-

"अभिदाता को सगाई समारोह और विवाह समारोह दोनों के लिए अंतिम निकासी की अनुमति होगी और दोनों समारोहों को अलग-अलग माना जाएगा."

(रेल मंत्रालय का दि. 26.2.2001 का पत्र सं. एफ (ई) III/2001/पी एफ I/1).

सं. एफ (ई) III/2000/पी एफ 1/2

नई दिल्ली, दि. 26-07-2000

1. सभी महाप्रबंधक, विसमुलेधि एवं विकाधि (मानक सूची 'I' के अनुसार)
2. सभी संबद्ध कार्यालय-अधीनस्थ कार्यालय, रेल भर्ती बोर्ड, प्रशिक्षण संस्थान, रेल दर अधिकरण एवं अन्य (मानक सूची 'II' के अनुसार)
3. सभी रेलों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/निगम (मानक सूची 'VI' के अनुसार)

विषय: राजकीय रेल भविष्य निधि के अभिदाताओं के लिए प्रोत्साहन बोनस स्कीम के संबंध में भारतीय रेल स्थापना संहिता/जिल्द I (1985 संस्करण)-नियम-921 में संशोधन.

बोर्ड के दि. 6.6.86 के पत्र सं. एफ (ई) III/82/आई टी/1 के अनुसार जब वित्त वर्ष 1986-87 के लिए 1.4.86 से भविष्य निधि अभिदान पर ब्याज दर को 10.5% से 12% तक बढ़ाया गया तब से राजकीय रेल भविष्य निधि अभिदाताओं को प्रोत्साहन बोनस प्रदान करने की पद्धति को बंद कर दिया गया.

2. उपर्युक्त को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय रेल स्थापना संहिता 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रित संस्करण 1995) के नियम 921 में प्रोत्साहन बोनस स्कीम को अनुबंध के रूप में संलग्न अगिम शुद्धि पर्ची सं. 77 के अनुसार हटा दिया जाए.

3. कृपया पावती दें.

संलग्न: यथोक्त.

एस. श्रीराम

(एस. श्री राम)

उप निदेशक वित्त (स्था.) III

रेलवे बोर्ड

सं. एफ (ई) III/2000/पी एफ 1/2

नई दिल्ली, दि. 26-07-2000.

ए डी ए आई (रेलें), नई दिल्ली को प्रतिलिपि, (40 अतिरिक्त प्रतियां).

एस. श्रीराम

(एस. श्री राम)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द I (पुनर्मुद्रित संस्करण 1995)

नियम 921/आर-1

अगिम शुद्धि पर्ची सं. 77

प्रोत्साहन बोनस स्कीम से संबंधित नियम 921 को हटा दिया जाए.

(रेल मंत्रालय का दि. 6.6.86 एवं 19.9.86 का पत्र सं. एफ (ई) III/82/आई टी/1 एवं दि.
26.7.2000 का पत्र सं. एफ (ई) III-2000-पी एफ-1-2).